BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 नम्बर 2023 **थाना खुर्जा नगर**

NCB का फर्जी अधिकारी बनकर नौकरी लगवाने के नाम पर धाखाधडी कर रुपये ठगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2023 को वादी शिव कुमार गोड पुत्र खचेडूमल शर्मा निवासी पुलिस फायर स्टेशन खुर्जा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर ने अभियुक्त पवन प्रताप द्वारा अपने आप को NCB का अधिकारी बनकर अपने भाई सुर्य प्रताप के साथ मिलकर जान से मारने धमकी देने के सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर तहरीर दी। इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं 811/23 धारा 452,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में विवचेना/छानबीन के दौरान अभियुक्त पवन प्रताप के NCB आईकार्ड की जांच करायी गयी तो आईकार्ड फर्जी पाया गया। जांच के दौरान में यह तथ्य प्रकाश में आया की सुर्य प्रताप अपने बडे भाई पवन प्रताप व अपने पिता के साथ मिलकर NCB में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगो से धोखाधडी कर पैसे ठग लेते हैं तथा पैसे वापस मांगने पर लोगो को झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी देते हैं। इस आधार पर पंजीकृत अभियोग मुअसं 811/23 में धारा 420,468,388,471 व 66 आई टी एक्ट की बढोत्तरी की गयी। इसी क्रम में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा दिनांक 23-11-2023 को अभियुक्त सुर्य प्रताप को अभियुक्त के घर से एक मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन में व्हाटस्एप पर पापा ग्रुप से अभियुक्त के भाई पवन प्रताप के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों के NCB अधिकारी के आई कार्ड मिले हैं। जिनके सम्बन्ध में भी जांच की जा रही हैं।

अभियुक्तों द्वारा मिलकर सुर्य प्रताप के सगे साले से नौकरी लगवाने के नाम पर 11 लाख रुपये हडप लिय गये। जिसके सम्बन्ध में जनपद अलीगढ के थाना महुआखेडा मुअसं-361/23 धारा 406,420,506 भादवि पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी तरुण शर्मा से 05 लाख, दिग्विजय से 06 लाख, ज्ञानवेन्द्र से 11 लाख, थाना अगौता क्षेत्र निवासी सुधीर से 7.5 लाख व थाना खानपुर क्षेत्र निवासी राजकुमार से 07 लाख रुपये का ठगी की गयी हैं तथा इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगो से करोडों रुपये की ठगी की गयी हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सुर्य प्रताप सिंह पुत्र लोकेश कुमार निवासी ग्राम बादशाहपुर पचगाई थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 मोबाइल फोन (वनप्लस)

गिरफ्तार अभियुक्त सुर्य प्रताप सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 361/23 धारा 406,420,506 भादवि थाना महुआखेडा जपनद अलीगढ।
2. मुअसं- 811/23 धारा 420,452,468,388,471,504,506 भादवि व 66 आई टी एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रवि रतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर।
2. निरीक्षक श्री इमाम जैदी
3. है0का0 सितम सिंह, है0का0 हितेश कुमार, है0का0 राहुल त्यागी, का0 मोहित बैसला

मीडिया सेल बुलंदशहर